



:: कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, खंडवा (म.प्र.)::

फोन न. 0733.2920333

email : secclsakhd@mp.gov.in

जा.क्र. 1068/LADCS/जविसेप्रा/2026

खण्डवा, दिनांक 13/01/2026

// सूचना //

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 694 दिनांक 22.08.2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक फा.न.97/एल.ए. डी.सी.एस./राविसेप्रा/2114/2025 जबलपुर दिनांक 06.08.2025 एवं पत्र क्रमांक फा.न. 97/एल.ए.डी.सी.एस./राविसेप्रा/2256/2025 जबलपुर दिनांक 18.08.2025 द्वारा जारी नवीन एस.ओ.पी. दिनांक 06.08.2025 के अनुपालन में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा द्वारा एक वर्ष के लिये संविदा आधार पर निम्न अनुसार पदों के लिये विज्ञप्ति क्रमांक 694 दिनांक 22.08.2025 जारी की गई थी:-

क्र.	पद का नाम	पद की संख्या
1	चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल	01
2	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल	02
3	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल	03

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 36687/2025 रामकृष्ण सोनी एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य संबंधित याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एस.ओ.पी. दिनांक 06.08.2025 निरस्त कर नवीन एस.ओ.पी. दिनांक 06.08.2025 के अनुसार की गई नियुक्तियाँ निरस्त कर दी गई हैं।

अतः उक्त आदेश के अनुपालन में लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना अंतर्गत संविदा आधार पर चीफ/डिप्टी चीफ/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के नवीन चयन हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 694 दिनांक 22.08.2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

(माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा द्वारा अनुमोदित)

(पियूष मावे) 13.1.2026
न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
खंडवा (म.प्र.)